न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 268/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/476**
दायर दिनांक :– 21.08.2025 **निर्णय दिनांक :– 23.01.2026**

1. जमाली पत्नी अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मजीज पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
2. लीतफ खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवाासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
3. हनीफ पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
4. यासीन पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
5. बसु खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि भड़ला पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 39/505 रकबा 3.5612 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों की तरमीमसुदा काश्त भूमि पर प्रार्थीया मौके पर वर्तमान तरमीम अनुसार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला रहा है तथा प्रार्थीया की उक्त वादग्रस्त भूमि में अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीया अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करती आ रही है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करती आ रही है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त काश्त भूमि के चारों तरफ खूंटे रोपकर तारबन्दी कर रखी है जो मौके पर मौजूद है। प्रार्थीया की उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही उक्त भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का कोई सरोकार ही है तथा न ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीया के पड़ोसी खातेदार है लेकिन फिर भी प्रार्थीया की भूमि पर जबरदस्ती एवं बलपूर्वक तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 बेदखल करने पर उतारू है और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीया की उक्त वादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू है जो सरासर गलत है। अपने इसी इरादे से दिनांक 15.08.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीया की उक्त भूमि में

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जबरन प्रवेश किया और प्रार्थीया की कब्जा काश्त वाली भूमि परी कब्जा कारने पर उतारू हो गये उस दिन तो प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को समझाबुझा कर वहां से निकाल दिया लेकिन जाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने धमकी दी आइन्दा पुनः आकर तुम्हारी खातेदारी की उक्त भूमि पर कब्जा करके रहेगे। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम भड़ला के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ग्राम भड़ला के खसरा नम्बर 39/505 रकबा 3.5612 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने का उतारू है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी की दर्ज है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीया को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीया का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम भड़ला पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 39/505 रकबा 6.5612 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु पाबंद रहेगे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)